न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री विवेक व्यास ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 289/2022

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

मेहराराम पुत्र जेताराम	राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार
जाति जाट	पचपदरा
निवासी अकड़दा	
तहसील पचपदरा	

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री करणसिंह सोलंकी,वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 19.5.2023

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2328/125 क्षेत्रफल 0.0759 हैक्टयर ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी का खसरा संख्या 2613/128 भूमि आई हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन रेकर्ड में कटाण नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है, जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:28:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 2613/128 क्षेत्रफल 0.6576 हैक्टयर भूमि में से होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुआ। विप्रार्थी को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किये जाने के कारण जवाब बन्द किया गया। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोर्ट तहसीलदार पचपदरा से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में तर्क दिये कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2328/125 क्षेत्रफल 0.0759 हैक्टयर ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी का खसरा संख्या 2613/128 भूमि आई हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में रास्ता कटाण नहीं होने के कारण विप्रार्थी द्वारा रोक टोक की जाती रहती है,इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योकि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता विकल्प है,तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अपनी बहस को'आगे ओर जारी रखतें हुए कथन किया कि विवादित भूमि की तहसीलदार पचपदरा द्वारा मौका जांच की गई,और अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है अतः तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी पक्ष को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार (एन.टी) द्वारा अपनी बहस में तर्क दिये गये कि मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदन स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात व मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:28:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कि प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी खेत ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 2328/125 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच खसरा संख्या 2613/128 से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार पचपदरा से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 31.08.2022 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र क्रमांक 48/10.3.2023 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2328/125 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचनें के लिए आवागमन हेतु निकट और उपयुक्त भूमि खसरा संख्या 2613/128 में से प्रस्तावित है,जो अन्तिम विकल्प रास्ता है। इस प्रकार तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट में खसरा संख्या 2613/128 में ही रास्ता प्रस्तावित किया है। इससे स्पष्ट है,कि उक्त प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है और प्रस्तावित रास्ता ही अन्तिम विकल्प रास्ता है,जो प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विप्रार्थी द्वारा भी प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 2613/128 में से 0.0460 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी.दर राशि–4,11,642/–अक्षरें चार लाख ग्यारह हजार छह सौ बयालीस रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदार को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार खसरा संख्या 2613/128 में से प्रस्तावित 0.0460 हैक्टयर की राशि–1,49,730/–अक्षरे एक लाख उनचास हजार सात सौ तीस रूपयें मात्र विप्रार्थी को राशि दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने का हकदार है। प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है। उपरोक्त विवेचन उपरांत प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6.**लिहाजा** प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 2613/128 में से प्रस्तावित 0.0460 हैक्टयर भूमि की मुआवजा राशि–1,49,730/–अक्षरें एक लाख उनचास हजार सात सौ तीस रूपयें मात्र भुगतान करतें हुए तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांकः राजस्व /2023/48 दिनांक 10.3.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:28:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नक्शे में ए से बी ----दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को क्षतिपूर्ति कुल राशि–1,49,730/–अक्षरे एक लाख उनचास हजार सात सौ तीस रूपयें तहसील कार्यालय पचपदरा में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार पचपदरा को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांकः राजस्व / 2022/48 दिनांक 10.3.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19.5.23 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:28:38 IST
Reason: SelfAttested